

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 1(6)न्याय./2017


जयपुर, दिनांक 15 JAN 2018

:: अधिसूचना ::

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार, एतद्वारा, न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-3, सीकर की अतिरिक्त बैठक का स्थान प्रत्येक माह में 6 दिन (एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस) के लिए निम्न प्रकार निर्धारित करती है:-

क्र०सं०	न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान	अतिरिक्त बैठक का स्थान	अवधि
1	2	3	4	5
1.	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या-3, सीकर	सीकर	लक्ष्मणगढ़	प्रत्येक माह के एकान्तर सप्ताह में तीन दिवस कुल 6 दिन प्रतिमाह

राज्यपाल के आदेश से

  
(मनोज कुमार व्यास)  
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/10/2012/ 126

Dated: 18/01/2018

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. District Judge, Sikar.
3. Additional District Judge No.3, Sikar.
4. Chief Judicial Magistrate, Sikar
5. A.O.J. Confidential/ RJS Estt./ S.C. Estt./ Statistics/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell with a direction to upload the same on high court website.

  
REGISTRAR (RULES)